संख्या– 306 /I/2018-04(1)/16/2017

प्रेषक,

हरीश कुमार सागर,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूजेवीएन लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांकः 21 मार्च, 2018**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में विश्व बैंक पोषित (DRIP) परियोजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 209/यूजेवीएनएल/प्र.नि./A-17 दिनांक 19.02.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक पोषित (DRIP) परियोजनाओं (वीरभद्र बैराज, डाकपत्थर बैराज, इच्छाड़ी बांध, आसन बैराज एवं मनेरी भाली–प्रथम बांध) हेतु अंशपूंजी के रूप में रू0 335.36 लाख तथा ऋण के रूप में रू0 1341.44 लाख की धनराशि (संलग्न विवरणानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से) सहित कुल रू0 1676.80 लाख **(रू0 सोलह करोड़ छिहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र)** की धनराशि वर्णित अनुदान/लेखाशीर्षकों के अर्न्तगत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय वहन हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. यूजेवीएन लि0 द्वारा उक्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की सक्षम स्तर से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय साथ ही ऐसे अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु वांछित ऋण भी यथाशीघ्र अवमुक्त करा ली जाय।
2. स्वीकृत धनराशि का यूजेवीएन लि0 के निदेशक वित्त द्वारा तैयार बिलों पर जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित होने के उपरान्त ही आहरण किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय। यदि स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष के अन्त में कोई धनराशि किसी कारण से शेष रह जाय तो उसे शासन को वापिस किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि व्यय करने से पूर्व बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 शासन के मितव्ययता विषयक आदेश व तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
5. योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार को समयबद्ध रूप से प्रेषित किया जायेगा।
6. व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
7. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभागीय कार्यक्रम प्रभारी/अधिकारी तथा निर्माण एजेन्सी/सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।
9. स्वीकृत की गई धनराशि व्यय करते समय यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना राज्यांश सहित सभी स्रोतों से व्यय धनराशि परिव्यय एवं लागत की सीमान्तर्गत हो।

10. अग्रेत्तर धनाबंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय परियोजनावार अनुमोदित लागत, टेन्डर उपरान्त न्यूनतम लागत राशि, लागत के सापेक्ष वित्त पोषण स्रोतवार धनराशि, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण कुल प्रतिपूर्ति हेतु अंशपूंजी, कुल दावों की धनराशि तथा इन दावों के सापेक्ष विश्व बैंक से प्राप्त कुल धनराशि का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017—18 के आय—व्ययक में अनुदान सं0—21 के अन्तर्गत अंशपूंजी के रूप में लेखाशीर्षक "4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय—01—जल विद्युत उत्पादन—190—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश—97—वाह्य सहायतित योजना—9702—विश्व बैंक पोषित योजना—30—निवेश/ऋण तथा ऋण के रूप में लेखाशीर्षक "6801—बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज—01—जल विद्युत उत्पादन—190—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश—97—वाह्य सहायतित योजना—9702—विश्व बैंक पोषित योजना—30—निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—863/XXVII(2)/2018 दिनांक 20 मार्च, 2018 द्वारा उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त एवं अलॉटमेन्ट आई0डी0।

(हरीश कुमार सागर)
अनु सचिव

संख्या— 300 /I/2018-04(1)/16/2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि : — निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखंड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग—1 एवं 2, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

(हरीश कुमार सागर)
अनु सचिव